रेरा में दायर मामलों को सुलह से सुलझाएंगे अधिवक्ता

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रेरा में दायर मामले को मध्यस्थता से निपटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और वरीय अधिवक्ताओं की सेवाएं ली जाएंगी।

■ विधिक सेवा प्राधिकरण ने रेरा बिहार को अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) की सूची के आधार पर इन्हें सहमति के लिए पत्र भेजा जा रहा है। जिन वरीय अधिवक्ताओं ने सहमति दी है, उनके लिए रेरा एक फरवरी को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों और विनयमों की जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में रेरा बिहार में दो सदस्यों और न्याय निर्णय अधिकारी के पद रिक्त हैं। इस कदम का उद्देश्य उपलब्ध न्यायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। आम लोगों की शिकायतों का निवारण कम से कम समय में हो सके, इसीलिए प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि मध्यस्थता में विशेषज्ञता रखने वाले कानूनी विशेषज्ञों की सेवाएं सुलह प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने में ली जाएंगी।